प्रेस नोट दिनांक 11.06.2026 जनपद फतेहपुर

थाना बिंदकी पुलिस द्वारा छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त के कब्जे से छिनैती का माल मशरूका बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.05.2026 को वादिनी मसरतुन निशा पत्नी मो0हसन निवासिनी ग्राम जिगनी थाना बिंदकी द्वारा सूचना दी गई कि बैलाही बाजार में सब्जी खरीदते समय किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनका बैग छीन लिया गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना बिंदकी पर मु0अ0सं0 143/2026 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:- उपरोक्त अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही, प्रभावी सुरागरसी-पतारसी एवं मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 10.06.2026 को थाना बिंदकी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 143/2026 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित प्रकाश में आए अभियुक्त आदिल राईम पुत्र जमाल निवासी मोहल्ला जहानपुर कस्बा व थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से छीना गया एक अदद मोबाइल फोन, एक अदद हाथ की घड़ी तथा नगद 8,300/- रुपये बरामद किये गये। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर उक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा छिनैती की घटना में संलिप्त/प्रकाश में आए अभियुक्त को आज दिनांक-11.06.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त आदिल राईम द्वारा स्वीकार किया गया कि उसने दिनांक 07.05.2026 को बैलाही बाजार कस्बा बिन्दकी में एक महिला से बैग/झोला छीन लिया था तथा उसमें रखे नगद रुपये में से कुछ धनराशि व्यक्तिगत खर्च एवं बकरीद की खरीदारी में खर्च कर दी थी। साथ ही अभियुक्त छीने गए मोबाइल फोन एवं घड़ी को बेचने के प्रयास में था, तभी पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 143/2026 धारा 304(2),317(2) बीएनएस (वर्तमान प्रकरण)

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. आदिल राईम पुत्र जमाल निवासी मोहल्ला जहानपुर कस्बा व थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर, उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. एक मोबाईल फोन
2. एक हाथ की घड़ी
3. नगद 8,300/- रूपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 श्री चन्दन सिंह प्रभारी चौकी कस्बा बिन्दकी थाना बिन्दकी जनपद फतेहपुर
2.उ0नि0 श्री नीरज मौर्या
3.का0 अरविन्द सिंह
4.का0 नरेन्द्र बुन्देला